रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-191/2021/1822/22-2-2021-17(706)/2021

लखनऊ:दिनांक: 07 अक्टूबर, 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018, दिनांक 01.08.2018 के प्रस्तर-2(ख) एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0/2018, दिनांक 28.07.2021 द्वारा निर्गत स्थायी नीति के प्रस्तर-1 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 02 अक्टूबर, 2021 (महात्मा गांधी जयन्ती) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयवीर (बन्दी संख्या-13580) पुत्र श्री अतर सिंह, निवासी मुकारी, थाना-नौगवा सादात, जनपद-जे0पी0 नगर का रहने वाला है, जिन्हे सत्र परीक्षण संख्या-310/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जे0पी0 नगर के आदेश दिनांक 21.09.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, उक्त बन्दी द्वारा दिनांक 02.10.2021 तक 17 वर्ष 06 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 03 माह 11 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा एवं संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/- (रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-191/2021/1822(1)/22-2-2021 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, जे0पी0 नगर।
3- पुलिस अधीक्षक, जे0पी0 नगर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in